संसद् सदस्य वेतन, भत्ता और पेंशन (संशोधन) अधिनियम, 2003

(2004 का अधिनियम संख्यांक 9)

[9 जनवरी, 2004]

संसद् सदस्य वेतन, भत्ता और पेंशन अधिनियम, 1954 का और संशोधन करने के लिए अधिनियम

भारत गणराज्य के चौवनवें वर्ष मे संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:—

संक्षिप्त नाम।

1. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम संसद् सदस्य वेतन, भत्ता और पेंशन (संशोधन) अधिनियम, 2003 है।

1954 का 30

धारा 2 का संशोधन।

2. संसद् सदस्य वेतन, भत्ता और पेंशन अधिनियम, 1954 की (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम कहा गया है) धारा 2 में खंड (क) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

'(कक) "आश्रित" से मृत सदस्य के निम्नलिखित नातेदारों में से कोई नातेदार अभिप्रेत है, अर्थात्:—

(i) कोई अवयस्क धर्मज पुत्र, और अविवाहित धर्मज पुत्री तथा विधवा माता; या

(ii) सदस्य की मृत्यु के समय उसके उपार्जन पर पूर्णत: आश्रित ऐसा कोई पुत्र या पुत्री जिसने अठारह वर्ष की आयु प्राप्त कर ली है और जो अशक्त है; या

(iii) सदस्य की मृत्यु के समय उसके उपार्जन पर पूर्णत: या भागत: आश्रित—

(क) माता-पिता; या

(ख) अवयस्क भाई या अविवाहित बहन; या

(ग) विधवा पुत्रवधु; या

(घ) पूर्व मृत पुत्र का अवयस्क बालक; या

(ङ) पूर्व मृत पुत्री का अवयस्क बालक, जहां बालक के माता-पिता में से कोई जीवित न हो; या

(च) पितामह-पितामही, यदि सदस्य के माता-पिता में से कोई जीवित न हों; या

(छ) ऐसा अन्य व्यक्ति, जो संयुक्त समिति द्वारा धारा 9 के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए;'।

धारा 4 का संशोधन।

3. मूल अधिनियम की धारा 4 में,—

(क) उपधारा (2) में दूसरे, परंतुक के पश्चात्, निम्नलिखित परंतुक अंत:स्थापित किए जाएंगे, अर्थात्:—

"परंतु यह भी कि किसी सदस्य के दिल्ली से तीन सौ किलोमीटर की दूरी के भीतर निवास करने की दशा में, वह या उसकी पत्नी/उसका पति, उसके द्वारा सड़क द्वारा की गई यात्रा के लिए ऐसे यात्रा भत्ते के स्थान पर, जो उसे उस समय अनुज्ञेय होता जब उसने, यथास्थिति, रेल द्वारा या सड़क द्वारा ऐसी यात्रा की होती, उपधारा (1) के खंड (ग) के उपखंड (ii) में निर्दिष्ट मील भत्ता ले सकेगा:

परंतु यह और भी कि किसी सदस्य के अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम या त्रिपुरा राज्यों में निवास करने की दशा में वह या उसकी पत्नी/उसका पति उक्त राज्यों में से किसी में अपने निवास से निकटतम विमानपत्तन तक उसके द्वारा सड़क द्वारा की गई यात्रा के लिए उपधारा (1) के खंड (ग) के उपखंड (ii) में निर्दिष्ट मील भत्ता ले सकेगा।";

(ख) उपधारा (3) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधारा अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात्:—

"(4) ऐसे किसी व्यक्ति को,—

(क) जो राज्य सभा के सदस्य के रूप में द्विवार्षिक निर्वाचन में निर्वाचित हुआ है, किंतु लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 71 के अधीन उसके नाम को अधिसूचित करने वाली अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित नहीं की गई है; या 1951 का 43

(ख) जो नई लोक सभा का गठन करने के प्रयोजन के लिए हुए साधारण निर्वाचन में लोक सभा के सदस्य के रूप में निर्वाचित हुआ है, किंतु लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 73 के अधीन उसके नाम को अधिसूचित करने वाली अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित नहीं की गई है; या 1951 का 43

(ग) जो संसद् के किसी सदन के सदस्य के रूप में किसी उपनिर्वाचन में निर्वाचित हुआ है या संसद् के किसी सदन के सदस्य के रूप में नामनिर्दिष्ट किया गया है,

1860 का 45

खंड (क) या खंड (ख) में निर्दिष्ट अधिसूचना के प्रकाशन से पूर्व या खंड (ग) के अधीन निर्वाचन या नामनिर्देशन पर दिल्ली आने के लिए उसके द्वारा की गई प्रत्येक यात्रा के संबंध में किराए के बराबर रकम का संदाय किया जाएगा:

परंतु यदि यात्रा रेल या स्टीमर या सड़क द्वारा की जाती है तो वह उस किराए या मील भत्ते की प्रतिपूर्ति किए जाने का हकदार होगा जिसके लिए कोई सदस्य हकदार है:

परंतु यह और कि यदि वह यात्रा वायुमार्ग द्वारा करता है तो ऐसी यात्रा धारा 5 की उपधारा (2) के पहले परंतुक में निर्दिष्ट बत्तीस यात्राओं की गणना करने के प्रयोजन के लिए सम्मिलित की जाएगी।''।

4. मूल अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (2) में, दूसरे परंतुक के पश्चात् निम्नलिखित परंतुक अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:— धारा 5 का संशोधन।

''परंतु यह भी कि किसी सदस्य का/की, यथास्थिति, पत्नी/पति या साथी अकेला/अकेली भारत में किसी स्थान से भारत में किसी ऐसे स्थान को, ऐसे सदस्य से भेंट करने के प्रयोजन के लिए वायुमार्ग द्वारा अधिकतम आठ यात्राएं कर सकेगा/सकेगी और ऐसी यात्रा उपधारा (2) के पहले परंतुक में निर्दिष्ट बत्तीस यात्राओं की गणना करने के प्रयोजन के लिए सम्मिलित की जाएगी।''।

5. मूल अधिनियम की धारा 5 के पश्चात्, निम्नलिखित धारा अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात्:— नई धारा 5क का अंत:स्थापन।

''5क. जहां धारा 4 की उपधारा (4) में निर्दिष्ट व्यक्ति दिल्ली आता है, वहां वह ऐसी मार्गस्थ वास-सुविधा के लिए ऐसी अवधि के लिए, जो संयुक्त समिति द्वारा धारा 9 की उपधारा (3) के खंड (गगग) के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित की जाए, हकदार होगा।''। मार्गस्थ वास-सुविधा।

6. मूल अधिनियम की धारा 8क की उपधारा (1) और उपधारा (1क) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधाराएं रखी जाएंगी, अर्थात्:— धारा 8क का संशोधन।

'(1) संसद् सदस्य वेतन, भत्ता और पेंशन (संशोधन) अधिनियम, 2003 के प्रारंभ से ऐसे प्रत्येक व्यक्ति को तीन हजार रुपए प्रतिमास पेंशन दी जाएगी जिसने किसी भी अवधि तक अंत:कालीन संसद् या संसद् के किसी सदन के सदस्य के रूप में सेवा की है:

परंतु जहां किसी व्यक्ति ने अंत:कालीन संसद् या संसद् के किसी सदन के सदस्य के रूप में पांच वर्ष से अधिक की कालावधि के लिए सेवा की है, वहां उसे पांच वर्ष से अधिक प्रत्येक वर्ष के लिए छह सौ रुपए प्रतिमास की अतिरिक्त पेंशन दी जाएगी।

स्पष्टीकरण—इस उपधारा के प्रयोजन के लिए, ''अंत:कालीन संसद्'' के अंतर्गत वह निकाय भी है जिसने इस संविधान के प्रारंभ के ठीक पहले भारत डोमिनियन की संविधान सभा के रूप में काम किया था।

(1क) संसद् सदस्य वेतन, भत्ता और पेंशन (संशोधन) अधिनियम, 2003 के प्रारंभ से किसी ऐसे सदस्य की, जिसकी मृत्यु ऐसे सदस्य के रूप में उसकी पदावधि के दौरान हो जाती है, पत्नी या पति को, यदि कोई हो, या ऐसे सदस्य के आश्रित को उसकी मृत्यु की तारीख से पांच वर्ष की अवधि तक प्रतिमास एक हजार पांच सौ रुपए की पेंशन संदत्त की जाएगी।

स्पष्टीकरण—शंकाओं को दूर करने के लिए यह घोषित किया जाता है कि इस उपधारा में निर्दिष्ट सदस्य की पत्नी/का पति या आश्रित कुटुंब पेंशन प्राप्त करने का हकदार होगा भले ही ऐसे सदस्य की मृत्यु संसद् सदस्य वेतन, भत्ता और पेंशन (संशोधन) अधिनियम, 2003 के प्रारंभ पर या उससे पूर्व हुई हो।'।

7. मूल अधिनियम की धारा 8कक के स्थान पर, निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात्:— धारा 8कक के स्थान पर नई धारा का प्रतिस्थापन।

''8कक. ऐसा प्रत्येक व्यक्ति, जो आसीन सदस्य नहीं है, किंतु संसद् के किसी सदन के सदस्य के रूप में किसी अवधि के लिए सेवा कर चुका है, किन्हीं प्रभारों का संदाय किए बिना, यथास्थिति, संसद् के किसी भी सदन के सचिवालय द्वारा इस प्रयोजन के लिए जारी किए गए प्राधिकार के आधार पर,— भूतपूर्व सदस्यों को यात्रा सुविधाएं।

(क) 18 जनवरी, 1999 से किसी साथी के साथ भारत में किसी रेल की किसी रेलगाड़ी द्वारा वातानुकूलित दो-टियर दर्जा में यात्रा करने का हकदार होगा; या

(ख) भारत में किसी रेल की किसी रेलगाड़ी द्वारा वातानुकूलित प्रथम दर्जा में अकेला यात्रा करने का हकदार होगा।''।

नई धारा 8कख का अंत:स्थापन।

8. मूल अधिनियम की धारा 8कक के पश्चात् निम्नलिखित धारा अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात्:—

पेंशन की अवधि का पूर्णांकन।

''8कख. जहां ऐसी अवधि में, जिसके लिए इस अधिनियम के अधीन पेंशन संदेय है, किसी वर्ष का कोई भाग अंतर्विष्ट है तब, यदि ऐसा भाग नौ मास या उससे अधिक का है तो उसे धारा 8क की उपधारा (1) के अधीन अतिरिक्त पेंशन के संदाय के प्रयोजन के लिए पूरे एक वर्ष के बराबर संगणित किया जाएगा और यदि ऐसा भाग नौ मास से कम है तो उसे गणना में नहीं लिया जाएगा।''।

धारा 9 का संशोधन।

9. मूल अधिनियम की धारा 9 की उपधारा (3) में,—

(i) खंड (क) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

''(कक) वह व्यक्ति जो धारा 2 के खंड (कक) के उपखंड (छ) के अधीन आश्रित के रूप में विनिर्दिष्ट किया जाए;'';

(ii) खंड (गग) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

''(गगग) वह मार्गस्थ वास-सुविधा और अवधि, जिसके लिए धारा 5क के अधीन ऐसी वास-सुविधा उपलब्ध कराई जा सकेगी;'';

(iii) खंड (चच) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

''(चचच) 1 अप्रैल, 2002 को या उसके पश्चात् प्रारंभ होने वाले किसी वर्ष से संबंधित अनुपयोजित नि:शुल्क टेलिफोन काल किसी पश्चात्वर्ती वर्ष के लिए अग्रनीत करने के संबंध में उपबंध करना;''।

राष्ट्रपति ने दि सेलेरी, अलाउंसेज एंड पेंशन ऑफ मेम्बर्स ऑफ पार्लियामेंट (अमेंडमेंट) ऐक्ट, 2003 के उपरोक्त हिन्दी अनुवाद को राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 5 की उपधारा (1) के खंड (क) के अधीन राजपत्र में प्रकाशित किए जाने के लिए प्राधिकृत कर दिया है।

The above translation in Hindi of the Salary, Allowances and Pension of Members of Parliament (Amendment) Act, 2003 has been authorised by the President to be published in the Official Gazette under clause (*a*) of sub-section (*1*) of section 5 of the Official Languages Act, 1963.

सचिव, भारत सरकार।

Secretary to the Government of India.

MGIPMRND—429OLW—02.12.2004